



पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर-332001)

टेलीफोन नं. 01572-272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572-273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई-मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांक: 9764

दिनांक:- 24.02.2019

विद्या परिषद् की असाधारण बैठक दिनांक 24.02.2019

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद् की असाधारण बैठक दिनांक 24.02.2019 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय में आयोजित हुई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रही:-

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेन्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैं:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	धारित पद
1.	प्रो. बी. एल. शर्मा	माननीय कुलपति महोदय	अध्यक्ष
2.	डॉ. आशुतोष मिश्रा	गर्वनर नोमिनी	सदस्य
3.	डॉ. के.सी. अग्रवाल	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
4.	डॉ. हेमबारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5.	डॉ. अशोक गोदारा	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
6.	डॉ. मदन लाल वर्मा	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
7.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	कुलसचिव	सदस्य सचिव

एजेन्डा न. 1: विद्या परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 17.05.2018 की कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

निर्णय: सर्वानुमति से दिनांक 17.05.2018 की विद्या-परिषद् की बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया जाता है।

एजेन्डा न. 2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के स्टेच्यूट 23 के संदर्भ में स्टेच्यूट के अध्याय 3 के अन्तर्गत स्टेच्यूट 6 के क्लोज (13) के उपखण्ड (iv) के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2017-18 में निम्न विवरणानुसार पदवियों के लिए अधिकृत विद्यार्थियों पर पदवी कनफर करने हेतु प्रबंध मण्डल को अनुशंसा:

(ii.) The University specifies the following Degrees under different Faculties:

A	Faculty/Discipline: Arts/Humanities/Social Sciences					Number of Students	Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel	
Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18	Specified Degree		Level	Minimum Duration (in Years)	Entry Qualification	Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18		
	Abbreviated	Expanded						
Yes	M.A. (Drawing)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-1	46	Pooja Prajapat
	M.A.(English)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-2	658	Pooja Gangani
	M.A. (Economics)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-3	90	Pooja Jangir
	M.A. (Geography)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-4	1774	Laxmi Saini

M.A. (Hindi)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-5	2936	Annu
M.A. (History)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-6	2244	Sangeeta Kumari
M.A. (Political Sc.)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-7	4790	Babita Kumari Kalwania
M.A. (Public Administration.)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-8	233	Sunita
M.A. (Sanskrat.)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-9	294	Neetu Kumari
M.A. (Sociology)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-10	342	Anita Saini
M.A. (Urdu)	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-11	80	Akhilash Garva

B		Faculty/Discipline: Commerce					Number of Students	Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel
Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18	Specified Degree		Level	Minimum Duration (in Years)	Entry Qualification	Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18		
	Abbreviated	Expanded						
Yes	M.Com. (ABST)	Master of Commerce	Master	2	Bachelor's	Annexure-12	669	Madhu Saini
	M.Com. (BADM)	Master of Commerce	Master	2	Bachelor's	Annexure-13	963	Reetu Giri
	M.Com. (EAFM)	Master of Commerce	Master	2	Bachelor's	Annexure-14	1117	Pooja Bagaria

C		Faculty/Discipline: Science					Number of Students	Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel
Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18	Specified Degree		Level	Minimum Duration (in Years)	Entry Qualification	Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18		
	Abbreviated	Expanded						
Yes	M.Sc. (Bio-Techonology)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-15		Neelam Jangir
	M.Sc. (Botany)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-16	470	Sanju Ponia
	M.Sc. (Chemistary)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-17	700	Renu Navaria
	M.Sc. (Home Science)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-18	06	Chanchal Badetia

M.Sc. (Information Technology)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-19			Gargi Sharma
M.Sc. (Mathematics)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-20	573		Ankita kumari
M.Sc. (Physics)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-21	274		Mahipal Kumawat
M.Sc. (Psychology)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-22	09		Manisha Choudhary
M.Sc. (Zoology)	Master of Science	Master	2	Bachelor's	Annexure-23	345		Divya Saini
D	Faculty/Discipline: Education						Number of Students	Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel
Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18	Specified Degree		Level	Minimum Duration (in Years)	Entry Qualification	Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18		
	Abbreviated	Expanded						
Yes	M.Ed.	Master of Education	Master	2	B.Ed.	Annexure-24		Sunita

E	Faculty/Discipline: Law						Number of Students	Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel
Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18	Specified Degree		Level	Minimum Duration (in Years)	Entry Qualification	Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18		
	Abbreviated	Expanded						
Yes	LL.M.	Master of Laws	Master	2	Bachelor in Laws	Annexure-25		Mukesh Kumar

नोट:- सत्यापित किया जाता है कि उक्त सारणियों में उल्लेखित सभी पदवियों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के सुसंगत स्टेच्यूट में समावेश है।

Under Ordinance 192-203	CHANCELLOR GOLD MEDEL (Under Ordinance 192-203 Introduced as per the direction of the Raj Bhawan) Faculty/Discipline:						Number of Students	Name of Student(s) who has been awarded/ conferred Gold Medel
Degree proposed to be awarded in the proposed convocation for the year 2017-18	Specified Degree		Level	Minimum Duration (in Years)	Entry Qualification	Details of the Students proposed to be awarded the degree/ diploma for the year 2017-18		
	Abbreviated	Expanded						
Yes	M.A.	Master of Arts	Master	2	Bachelor's	Annexure-1	01	Pooja

नोट:- संलग्नक 1-25 गोपनीय विभाग द्वारा बैठक के समय उपलब्ध करवाये जायेंगे।

निर्णय: सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के स्टेच्यूट 23 के संदर्भ में स्टेच्यूट के अध्याय 3 के अन्तर्गत स्टेच्यूट 6 के क्लोज (13) के उपखण्ड (iv) के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2017-18 में उक्त विवरणानुसार पदवियों के लिए अधिकृत विद्यार्थियों पर पदवी कनफर करने की सूचियों को स्वीकार कर प्रबंध मण्डल के समक्ष रखने की अनुशंसा की जाती है।

एजेण्डा न. 3: एजेण्डा नम्बर 2 में उल्लेखित विभिन्न सारणियों के अन्तिम कॉलम में उल्लेखित नाम के विद्यार्थियों/प्रस्तावित डिग्री धारकों को संबंधित विषय/डिग्री एवं संकाय में स्वर्ण पदक कनफर करने हेतु अनुशंसा।

निर्णय: सर्वानुमति से एजेण्डा नम्बर 2 में उल्लेखित विभिन्न सारणियों के अन्तिम कॉलम में उल्लेखित नाम के विद्यार्थियों/प्रस्तावित डिग्री धारकों को संबंधित विषय/डिग्री एवं संकाय में स्वर्ण पदक कनफर करने हेतु सूची को स्वीकार कर प्रबंध मण्डल के समक्ष रखने की अनुशंसा की जाती है।

एजेण्डा न. 4: एजेण्डा नम्बर 2 की अंतिम सारणी में उल्लेखित विद्यार्थी/प्रस्तावित डिग्री धारक के नाम के विद्यार्थी को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर कुलाधिपति स्वर्ण पदक कनफर करने हेतु अनुशंसा।

निर्णय: सर्वानुमति से एजेण्डा नम्बर 2 की अंतिम सारणी में उल्लेखित विद्यार्थी/प्रस्तावित डिग्री धारक के नाम के विद्यार्थी को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर कुलाधिपति स्वर्ण पदक कनफर करने को स्वीकार कर प्रबंध मण्डल के समक्ष रखने की अनुशंसा की जाती है।

एजेण्डा न. 5: अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु।

- राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ दिनांक 09.10.2018 को प्रातः 10:45-11:45 बजे की अवधि में हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 42 (k) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए नये पार्ट-IX एवं पार्ट-X को संशोधन द्वारा जोड़कर निम्नानुसार संशोधित स्टेच्यूट को स्वीकारने बाबत।

THE STATUTE OF PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI
UNIVERSITY, SIKAR

4.1 Proposed Amendments
PART-IX: REMUNERATION

REMUNRRATION	37. REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC.
	37-A (1)
	37-A (2) The following is the scale of Remuneration allowed to Practical Examiners.
	37-A (3) Remuneration for invigillets, Centre Supreintendents and other exam works.
	37-B Examination Section
	37-C Professional Examinations
	37-D Common Rates (per candidate form) for all conduct branchers whenever Manual Roll Lists are prepared and results are also prepared manually, filling, pasting and prepration of Q.P.
	37-E Enrollment Section
	37-F Dispatch Section
	37-G Cash Branch
	37-H Accounts and Finance Section
	37-I Secrecy Section
	38-A External Examiners associated with moderation work
	38-B Disqualification of the members of the Board of Management for Remuneration
	39. Empowering Clause to get work done through any agency/ institution functioning with digital/electronic or any other mechanical process
	40. Authority of the Board of Management to lay down other procedures for effective conduct of the examination, preparation and declaration of the results and any other

	work ancillary to examinations
	41. Date of commencement
	42. Financial Limitation on payment of Remuneration

(संलग्नक 26- REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC. का प्रस्तावित प्रारूप: उक्त प्रारूप अध्यादेश के रूप में प्रबंध मण्डल द्वारा पूर्व में पारित किया जा चुका है, राजभवन के संबंधित प्रभारी अधिकारियों की सूचना/चर्चा अनुसार मात्र अध्यादेश के स्थान पर स्टेच्यूट के रूप में स्वीकार करने एवं स्टेच्यूट के नये नम्बर, भाग एवं अध्याय के साथ पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।)

THE STATUTE OF PANDIT DEENDAYAL UPADHYAYA SHEKHAWATI UNIVERSITY,
SIKAR

4.2 Proposed Amendments

PART-X: TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES

TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES	43. TRAVELLING AND HALTING/DAILY ALLOWANCES: Entitlement of University Employees and persons assigned any work by the university.
	44. Implementation is subject to the provisions of Rajasthan Travelling Allowances Rules and amendment their under
	45. Automatic acquiring the status of Statute by the amendments made time to time in the Rajasthan Travelling Allowances Rules
	46. Persons who are subjects of these Rules
	47. Persons who shall not be the subjects of these Rules
	48. Entitlement
	49. Coveyance Allowances
	50. Provision for disqualification to receive T.A. and D.A. by the members of the Board of Management and Academic Council for attending Convocation.
	51. Allowance for Railway and Road Journey, admissibility
	52. Non admissibility of T.A. and D.A. when members attending to meetings.
	53. T.A. and Halting Allowance for the Vice-Chancellor
	54. T.A. to inspectors to inspect colleges
	55. Travel by flight and D.A.
	56. The authority of the Board of Management to settle the issues not covered by these rules.
	57. Meaning of the word "Day"
	58. Admissibility of the Allowances when concerned Journey on specific is more than eight hours.
	59. Discretion of the Vice-Chancellor to allow air fair in exceptional cases.
	60. Authority of the State Government to decide the expensive cities for the purpose of daily allowances
	61. Admissibility of T.A. to the candidates when interview has been postponed and the candidate comes for interview when conducted succeeding time.

(संलग्नक 27- TRAVELLING AND HALTING ALLOWANCES का प्रस्तावित प्रारूप: उक्त प्रारूप अध्यादेश के रूप में प्रबंध मण्डल द्वारा पूर्व में पारित किया जा चुका है, राजभवन के संबंधित प्रभारी अधिकारियों की सूचना/चर्चा अनुसार मात्र अध्यादेश के स्थान पर स्टेच्यूट के रूप में स्वीकार करने एवं स्टेच्यूट के नये नम्बर, भाग एवं अध्याय के साथ पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है।)

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 42 (k) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए नये पार्ट-IX एवं पार्ट-X को संलग्नक 26 एवं 27 के अनुसार संशोधन द्वारा जोड़ने को स्वीकार कर प्रबंध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ रखने की अनुशंसा की जाती है।

2. राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ दिनांक 09.10.2018 को प्रातः 10:45-11:45 बजे की अवधि में हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट में पंडित दीनदयाल

उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट को विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल द्वारा पारित करवाकर विश्वविद्यालय के पत्रांक PDUSU/VCS/Ordinances/2018/97 दिनांक 11.06.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस प्रस्तावित अध्यादेशों के प्रारूप के भाग-III REMUNRRATION के अन्तर्गत प्रस्तावित अध्यादेश क्रमशः 165-169 एवं 169- A के द्वारा REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC. के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस भाग को अध्यादेशों की सूची में से हटाकर शेष अन्य अध्यादेशों का संशोधित प्रारूप स्वीकार करने बाबत।

प्रस्तावित अध्यादेशों की क्रम संख्या का संशोधित प्रारूप:

Passed by Resolution		Part	Proposed Ordinances		Page No.		
			Ordinance No.	Proposed Chapter and Contents			
Board of Management 06-01-2018 and 28-03-2018	Academic Council	Part I- Admission of Students in University and Colleges					
			1.1	2.1	1-25	1.1 Admission of Students	1
			1.2	2.2	26	1.2 Maximum Duration to pass any academic programme/ course including clearance of Backlog Papers/Courses	24
			1.3	2.3	27-37	1.3 Enrolment and Migration of Students	26
			1.4	2.4	38-40	1.4 Fee Structure and Freeship	28
			1.5	2.5	41-70	1.5 Examination and Attendance to Keep Academic Term and appear in Examination	35
			1.6	2.6	71-92	1.6 Non Regular Students: Ex-Student and Non-Collegiate Students	43
			1.7	2.7	93-103	1.7 Supplementary Examination	48
			1.8	2.8	104-115	1.8 M.Phil. and Ph.D. Ordinances	51
			1.9	2.9	116-130	1.9 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Arts and Social Science: D.Litt.	87
			1.10	2.10	131-148	1.10 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Science: D.Sc.	90
			1.11	2.11	149-164	1.11 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Law: LL.D.	93
			1.13	2.13	165-166	1.12 Degree and Diploma	99
			1.14/ BOM Resolution 3.1/3.2	2.14	167-181	1.13 Convocation	102
<p>Note-1: The earlier Ordinance 177 has been repealed and replaced by new amended ordinance 177.</p> <p>Note-2: The earlier Ordinance 180 has been repealed and replaced by new amended ordinance 180.</p>							

1.15	2.15		182-200	1.14 Medals and Prizes	105
1.16	2.16	Part-IV Scholarship, Endowments and Prizes	201-217	1.15 Scholarship	108
1.17	2.17		215-220	1.16 Conditions for accepting Endowments or Scholarships, Medal and Prizes etc.	112
1.18	2.18	Part-V Services to Nation	221-227	1.17 N.C.C./N.S.S./Rover Range Training	113
1.19	2.19	Part-VI Recruitment and Conditions of Service	228-234	1.18 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff	115
1.20	2.20		235-278	1.19 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff: General Terms and Conditions	137
1.21	2.21		279-280	1.20 Promotion: Career Advancement Scheme for Teachers	155
1.22	2.22		281	1.21 College Principal	167
1.23	2.23		282	1.22 Recruitment and Conditions of Service of the Non-Teaching Staff	169
1.24	2.24		283-284	1.23 Recruitment: Selection Committee for Teachers, Officers and other for Direct Recruitment	197
1.25	2.25		285-288	1.24 Promotion for Non-Teaching Staff	202
1.26	2.26		289-293	1.25 Seniority and Other Service Benefits	206
1.27	2.27		294-295	1.26 Leave	208
1.29	2.29		296	1.27 Medical Attendance Rules	237
1.30	2.30		Part-VIII Conditions of Admission of Institutions	297	1.28 Conditions of Admission of Institutions
1.31	2.31	Part-IX University Boards	298	1.29 University Boards: Empowering Clause	264
1.32	2.32		299	1.30 Health, Discipline and Residence Board	265
1.33	2.33		300	1.31 Board of Extra Mural Study	268
1.34	2.34		301	1.32 Board for Hostels	270
1.35	2.35		302	1.33 Sports Board	272
1.36	2.36		303	1.34 University Planning and Monitoring Board	277
1.37	2.37		304	1.35 Publication Board	278
1.38	2.38		305	1.36 Library Board	279
1.39	2.39		306	1.37 Admission Board	280
1.40	2.40		307	1.38 Translation Board	281

नोट:

[Handwritten signature]

- (i) पूर्व में प्रस्तावित ऑर्डिनेन्स के भाग-III Remuneration जो ऑर्डिनेन्स संख्या 165-169 A में प्रस्तावित है, को अध्यादेश के प्रारूप में से हटाकर के स्टेच्यूट के रूप में सम्मिलित करने के निर्णय प्रस्तावित है। तदानुसार सभी भागों की संख्या को एक क्रम कम करके उपर्युक्त सारणी में दी गयी संख्या को स्वीकार करने का प्रस्ताव है।
- (ii) पूर्व में प्रस्तावित ऑर्डिनेन्स के भाग-VIII Recruitment and Conditions of Service के चेप्टर संख्या 28 के ऑर्डिनेन्स संख्या 301-309 में प्रस्तावित है, को अध्यादेश के प्रारूप में से हटाकर के स्टेच्यूट के रूप में सम्मिलित करने के निर्णय किये जाने का प्रस्ताव है।
- (iii) नोट संख्या 1 एवं 2 में उल्लेखित प्रस्तावित अध्यादेश प्रारूप को अध्यादेश की श्रेणी में से हटाये जाने के कारण अध्यादेश संख्या 165 से 331 तक के अध्यादेशों की संख्या को क्रमशः 165-307 के अध्यादेश संख्या के अन्तर्गत प्रस्ताव में संशोधित स्वरूप को संलग्न सूची अनुसार अध्यादेश संख्या परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव है।

(संलग्नक 28- Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Ordinances का प्रस्तावित प्रारूप : उक्त प्रारूप अध्यादेश के रूप में प्रबंध मण्डल द्वारा पूर्व में पारित किया जा चुका है, राजभवन के संबंधित प्रभारी अधिकारियों की सूचना/चर्चा अनुसार मात्र अध्यादेश भाग-III Remuneration जो ऑर्डिनेन्स संख्या 165-169 A एवं भाग-VIII Recruitment and Conditions of Service के चेप्टर संख्या 28 के ऑर्डिनेन्स संख्या 301-309 को अध्यादेश की सूची से हटाने एवं स्टेच्यूट के रूप में स्वीकार करने के कारण संबंधित अध्यादेशों में भाग संख्या, चेप्टर संख्या एवं अध्यादेश संख्या में परिवर्तन के साथ ऊपर लिखित स्वरूप में नये भाग संख्या, चेप्टर संख्या एवं अध्यादेश संख्या के साथ अनुमोदित करने हेतु प्रस्तुत है।)

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि राजभवन के प्रभारी अधिकारियों के साथ हुई चर्चा एवं उनके निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम की धारा 44 एवं 45 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों के प्रस्तावित ड्राफ्ट को विश्वविद्यालय की प्रबंध मण्डल द्वारा पारित करवाकर विश्वविद्यालय के पत्रांक PDUSU/VCS/Ordinances/2018/97 दिनांक 11.06.2018 द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस प्रस्तावित अध्यादेशों के प्रारूप के भाग-III REMUNRRATION के अन्तर्गत प्रस्तावित अध्यादेश क्रमशः 165-169 एवं 169- A के द्वारा REMUNRRATION TO EXAMINERS/ TABULATORS/ CHECKERS ETC. के प्रारूप को स्वीकार करने के लिए भेजा गया था, उस भाग को अध्यादेशों की सूची में से हटाकर शेष अन्य अध्यादेशों का संशोधित प्रारूप संलग्नक 28 के अनुसार अध्यादेशों के नम्बर में संशोधन कर स्वीकार कर प्रबंध मण्डल के समक्ष निर्णयार्थ रखने की अनुशंसा की जाती है।

3. दिनांक 13.06.2017 से लेकर दिनांक 19.02.2019 तक सम्पन्न हुई बी.ओ.आई. बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय: दिनांक 13.06.2017, 20.06.2017, 24.06.2017, 21.07.2017, 29.08.2017, 26.09.2017, 27.10.2017, 01.11.2017, 09.11.2017, 23.11.2017, 28.11.2017, 12.12.2017, 30.12.2017, 11.01.2018, 16.01.2018, 02.02.2018, 07.02.2018, 12.02.2018, 06.03.2018, 07.05.2018, 15.06.2018, 04.07.2018, 05.12.2018, 25.01.2019, 28.01.2019 तथा 19.02.2019 को सम्पन्न हुई बी.ओ.आई. बैठकों के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है।

4. एम. ए. गृह विज्ञान पाठ्यक्रम सत्र 2018-19 से संचालित किये जाने का अनुमोदन।

निर्णय: विश्वविद्यालय में सत्र 2018-19 से एम.ए. (गृह विज्ञान) पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुशंसा की जाती है।

5. दिनांक 24.02.2019 तक सम्पन्न हुई ईपीएमसी बैठकों के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय: विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त ई.पी.एम.सी. बैठकों के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया जाता है।

(Handwritten signature)

6. बी.ए.बी.एड.-बी.एससी.बी.एड. के पाठ्यक्रम का अनुमोदन।

निर्णय: विश्वविद्यालय में बी.ए.बी.एड.-बी.एससी.बी.एड. के पाठ्यक्रम को सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

7. कम्प्यूटर विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में कला संकाय में प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा/निर्णय।

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला संकाय में कम्प्यूटर विषय को ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारम्भ किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

8. एलएल.एम. सेमेस्टर में संवैधानिक ब्रांच प्रारम्भ किये जाने पर चर्चा एवं निर्णय।

निर्णय: सर्वानुमति से निर्णय किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एलएल.एम. सेमेस्टर प्रणाली में संवैधानिक ब्रांच प्रारम्भ करने के निर्णय को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

9. राजभवन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर स्पोर्ट्स एजुकेशन को लागू करने के लिए चर्चा/निर्णय।


निर्णय: विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर स्पोर्ट्स एजुकेशन के प्रारूप को तैयार करने निम्न सदस्यों की समिति बनायी जाती है:

1. डॉ. के. सी. अग्रवाल, संयोजक
2. डॉ. अशोक कुमार गोदारा, सदस्य
3. डॉ. आशुतोष मिश्रा, सदस्य

10. विश्वविद्यालय में एलीमेन्टरी कम्प्यूटर एजुकेशन के वर्तमान विषय को प्रभावी बनाने हेतु विचार।

निर्णय: विश्वविद्यालय में एलीमेन्टरी कम्प्यूटर एजुकेशन के वर्तमान विषय को प्रभावी बनाने हेतु निम्न सदस्यों की समिति बनायी जाती है:

1. डॉ. के. सी. अग्रवाल, संयोजक
2. डॉ. अशोक कुमार गोदारा, सदस्य
3. डॉ. आशुतोष मिश्रा, सदस्य


कुलसचिव